रजिस्ट्री सं० डी-221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1965/फाल्गुन 15, 1886

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1965/PHALGUNA 15, 1886

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत के असाधारण गजट के भाग 1, खण्ड 1, तारीख 14, दिसम्बर, 1964 अंग्रेजी में प्रकाशित

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

टैरिफ

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1964

सं० 10(3)-टैरि/64—टैरिफ आयोग ने टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 11(ङ०) और 13 के अधीन की गई जांच के आधार पर सोडा-राख उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) सोडा-राख उद्योग का संरक्षण 1 जनवरी, 1965 से 31 दिसम्बर, 1967 तक की तीन वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए जारी रखा जाना चाहिये तथा, संरक्षण शुल्क की विद्यमान दरें, अर्थात, 11-32 रुपये प्रति क्विंटल (मानक) और 8-37 रुपये प्रति क्विंटल (अधिमान्य), अपर आयात शुल्क और प्रतिप्रभावी उत्पादन शुल्क को छोड़कर प्रवृत्त रहनी चाहियें।

(2) यदि रेलवे, नमक वहन करने वाले वैगनों के लिए कुछ आनुकल्पिक संरक्षण उपाय प्रतिगृहीत कर सके और सोडा-राख विनिर्माताओं को माल टैरिफ के वर्गीकरण 35-क के अधीन दर का लाभ उठाने के लिए समर्थ कर सके तो इससे सोडा-राख जसे मूल उद्योग की पर्याप्त सहायता हो सकेगी।

(3) सोडा-राख का उत्पादन जैसे मूल रासायनिक उद्योग के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रेलवे भाड़ा संरचना का अभिनवीकरण अपने परिचालनों पर परिवहन का खर्च का प्रभाव कम करके उद्योग की कठिनाई को घटा सकता है।

(4) रासायनिक उद्योगों द्वारा प्रयुक्त चूना पत्थर के बारे में रेलवे भाड़ा-संरचना का नये ढंग से पुनर्विलोकन किया जाये।

(5) सोडा-राख के विनिर्माताओं द्वारा अपेक्षित चूना पत्थर के परिवहन के लिए स्टेशन से स्टेशन भाड़ा-दरें अनुज्ञात करने के विषय पर रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पुनः परीक्षा की जानी चाहिये।

(6) खनिज साधनों का संधारण योजना और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए उपयुक्त प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चूना पत्थर का अधिक विवेकसम्मत उपयोग प्रवर्तित किया जाना चाहिये।

(7) जब तक कि उपान्तरित सोलवे प्रोसेस के लिए बी० पी० हार्ड कोक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो कि साहू कैमिकल्ज की दशा मे अनुज्ञात किया गया है तब तक यह उचित होगा कि यदि कोक का आवंटन, सोडा-राख के विभिन्न उत्पादकों की विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें, आवश्यक किस्म के अनुसार किया जाये।

(8) कोई ऐसी सहज कल्पना करना अमान्य है कि देश में सोडा-राख उत्पादन के बारे में आत्मनिर्भरता की स्थिति पहले ही पहुंच चुकी है। विद्यमान उत्पादकों के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि बुरी स्थिति से बचें तथा यदि संभव हो तो और विस्तार करें, किन्तु यह भी आवश्यक है कि कम से कम एक या दो नई यूनिटें, यावतसम्भव शीघ्र, उत्पादन प्रारम्भ करें।

(9) देश के पूर्वी और दक्षिणी प्रदेशों में सोडा-राख उद्योग के अपर विकास के लिए अत्यधिक दूरी से चूना पत्थर अभिप्राप्त करने, जिसके लिए बहुत अधिक मांग है, की आवश्यकता से छुटकारा पाने के लिए उपान्तरित सोलवे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा।

(10) उत्पादन में प्रचुर मात्रा में किफायत प्राप्त करने के लिए सोडा-राख उद्योग का पुनर्गठन उद्योग द्वारा गम्भीर विचारणीय विषय होना चाहिये।

(11) कीमतों के विनियंत्रण से सोडा-राख के विनिर्माताओं द्वारा यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये था कि वह कीमतों में पर्याप्त परिवर्तन करने का अवसर था। संरक्षित उद्योग में उनकी कीमतों की नीति के बारे में उत्पादकों द्वारा कुछ सीमा तक आत्म-संयम की आवश्यकता है और राष्ट्रीय विकास के हितों के लिए यह बहुत आवश्यक है।

2—सरकार ने इन सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है किन्तु अब तक उद्योग द्वारा की गई प्रगति तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान परिस्थितियों में आयातों के साथ कोई अनुचित प्रतिस्पर्धा संभाव्य नहीं है, सरकार का विचार है कि सोडा-राख उद्योग के टैरिफ संरक्षण को 31-12-1964 के पश्चात् जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, सरकार शुल्क की वर्तमान दर को फिलहाल चालू रखने का विचार करती है। सरकार के विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विधान यथासमय बनाया जायेगा।

3—सरकार ने (2) से (7) तक की सिफारिशों पर ध्यान दिया है और उन पर जिस सीमा तक संभव हो सकेगा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4—सोडा-राख उद्योग और सोडा-राख के विनिर्माताओं का ध्यान (7) से (11) तक की सिफारिशों की ओर दिलाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के गजट में प्रकाशित किया जाये और इसकी एक एक प्रति सभी सम्प्रक्त व्यक्तियों/संस्थाओं को भेजी जाये ।

भारत के असाधारण गजट के भाग 1, खण्ड 1, तारीख 14 दिसम्बर 1964 में अंग्रेजी में प्रकाशित।

सं० 12(1)-टैरि०/64—टैरिफ आयोग ने टरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 11(ङ) और 13 के अधीन की गई जांच के आधार पर कैल्सियम कार्बाइड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) कैल्सियम कार्बाइड उद्योग को दिया गया संरक्षण 31 दिसम्बर, 1966 तक दो वर्ष की अपर अवधि के लिये वर्तमान शुल्क दर पर अर्थात् सरचार्ज को छोड़कर 50 प्रतिशत मूल्यानुसार, जारी रखा जाना चाहिये।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात के लिये अनुनय की जानी चाहिये कि वह अपनी निर्बन्धनात्मक नीति को शिथिल करे और साथ ही सोडा के चूना-पत्थर निक्षेप कैल्सियम कार्बाइड के विनिर्माताओं को भी उपलब्ध करे। उसके सीमेन्ट कारखाने के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा करना संभव प्रतीत होता है।

(3) महाराष्ट्र सरकार के विद्युत् नियमों में जो भावना निहित है, वह विद्युत् पर रियायती शुल्क के विषय से सुसंगत है और यदि दी गई इकतरफा रियायत सुयोग्य उद्योगों की सहायता करने की इच्छा से अभिप्रेरित हो तो कैलिको मिल्स-केमीकल डिवीजन की प्रार्थना, नियमों में अपवाद के विषय क्षेत्र का विस्तार करके, राज्य सरकार द्वारा मानी जा सकती है।

(4) चूंकि कैल्सियम कार्बाइड महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है, अतः उसके उत्पादकों को, उपभोक्ताओं के प्रति अपनी बाध्यताओं के निर्वहन में, इस बात के सुनिश्चय के लिये हर समय विशेष सावधानी रखना चाहिये कि उनकी विक्रय-कीमतों का लागत के साथ युक्तिमान सम्बन्ध हो और लागत को कम करने के लिये उन्हें कोई प्रयत्न उठा नहीं रखने चाहियें। इस प्रक्रिया में, कच्चे माल और बिजली की ही भांति, सरकार को उन्हें सभी सुविधायें देना चाहिए।

(5) इन्डस्ट्रियल कैमीकल्स लिमिटेड को अपने कच्चे माल को बदल कर "बी" ग्रेड उत्पादन में नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि अपनी विगत ख्याति संबंधी प्रश्न के अतिरिक्त, इस कम्पनी को दूरस्थ बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति को संभाले रखने के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अन्य उत्पादकों की "बी" ग्रेड के साथ अनुकलतः मेल खाने वाली गैस उपज के साथ साथ अपने ग्रेड 'ए' के उत्पादन को बनाये रखे।

2—सरकार ने इन सिफारिशों पर सावधानी से विचार किया है किन्तु इस उद्योग ने अब तक जो प्रगति की है उसको और इस बात को ध्यान में रखकर कि वर्तमान परिस्थितियों में आयातों के साथ कोई अनुचित प्रतिस्पर्द्धा संभाव्य नहीं है सरकार का विचार है कि 31-12-1964 से आगे कैल्सियम कार्बाइड उद्योग को टैरिफ संरक्षण जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, सरकार शुल्क की वर्तमान दर को फिलहाल जारी रखने की प्रस्थापना करती है। सरकार के विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक विधान यथासमय बनाया जायेगा।

3—उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान सिफारिश (2) की ओर और महाराष्ट्र सरकार का ध्यान सिफारिश (3) की ओर दिलाया जाता है।

4—कल्सियम कार्बाइड के उत्पादकों का ध्यान सिफारिश (4) की ओर दिलाया जाता है। सरकार ने भी इस सिफारिश के अन्तिम प्रभाग को ध्यान में रख लिया है।

5—इंडस्ट्रियल कैमिकल्स लिमिटेड तलाइ, मद्रास का ध्यान सिफारिश (5) की ओर दिलाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाये और इसकी एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों संस्थाओं को दे दी जाये।

भारत के असाधारण गजट के भाग 1, खण्ड 1, तारीख 14 दिसम्बर, 1964 में अंग्रेजी में प्रकाशित।

सं० 10(2) टैरि०/64—टैरिफ आयोग ने टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 11(ङ) और 13 के अधीन अपने द्वारा की गयी जांच के आधार पर कास्टिक सोडा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) कास्टिक सोडा उद्योग को दिया गया संरक्षण 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अपर कालावधि के लिए, संरक्षण शुल्क की वर्तमान दरों, अर्थात् मूल्यानुसार 70 प्रतिशत (अधिमान्य) और मूल्यानुसार 80 प्रतिशत (मानक) पर सरचार्ज और उत्पादन प्रतिशुल्क जारी रखा जाना चाहिए। वर्तमान टैरिफ मूल्यों का पुनरीक्षण हो जाने पर भी उतना ही संरक्षण मिलता रहे इस के लिए ये शुल्क दरें यथोचित समायोजनों के अध्यधीन होंगी।

(2) कलोरीन की हानि के बावजद जो कुछ समय तक अनिवार्य है कास्टिक सोडा उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

(3) टाटा कैमिकल्स लिमिटेड के आनुकल्पिक सुझावो का, अर्थात् भट्टी तेल पर उद्-ग्रहणो मे ऐसी रीति से समायोजन का जिससे भट्टी और कोयले के प्रयोग के बीच आर्थिक समता हो जाये, या कास्टिक सोडा उद्योग के प्रयोग के लिए केवल उच्च ग्रेड वाले कोयले के बटन पर परीक्षण सरकार द्वारा किया जा सकता है ।

(4) देश मे बैरियम कारबोनेट के भावी उत्पादक, अर्थात् बैरियम कैमिकल्स लिमिटेड को यदि देश मे वितरण के लिए सामग्री का आयात करने करने लिए अनुज्ञात किया जाता है तो हो सकता है कि उसे इस रसायन का उत्पादन आरम्भ करने का प्रोत्साहन न मिले । यदि व्यापारिक लाभ आकर्षक हुए तो हो सकता है कि कम्पनी के लिए देशी उत्पादन शीघ्र आरम्भ करने का कोई प्रलोभन न हो ।

(5) रासायनिक उद्योग की भावी योजनाओ के अन्तर्गत यथोचित स्थानो पर क्लोरीन आधारित उद्योगो की स्थापना भी होनी चाहिये । क्लोरीन उत्पाद और क्लोरीन आधारित उत्पाद दोनो के निर्यात की सभाव्यताओं की भी खोज अधिक व्यापक रूप से की जानी चाहिये । इस सम्बन्ध मे भाडे की रियायतो के साथ-साथ निर्यात के लिए प्रोत्साहन भी लाभप्रद रूप मे बढ़ाये जा सकते है ।

(6) क्षारोदक के रूप मे कास्टिक सोडा का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए इस के पक्ष मे रेल भाडा दर मे कुछ रियायत दी जानी चाहिये ।

(7) यदि रेलवे, इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि कास्टिक सोडा और सोडा राख देश के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत रसायन है, भारी मात्रा मे नमक के यातायात के भाडे दर से सम्बद्ध सम्पूर्ण विषय पर पुनर्विचार करे और इस विषय मे अनुकूल और शीघ्र विनिश्चय करे तो यह इस उद्योग के हित मे होगा ।

(8) कास्टिक सोडा उद्योग को विद्युत्-सभरणो की विद्युत् दरो मे वृद्धियों का परीक्षण राज्य विद्युत् बोर्डों द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास की पृष्ठ भूमि मे उनके अपने गुणावगुण के आधार की जानी चाहिये ।

(9) उद्योग के लिये विद्युत के खर्च मे रियायत के हेतु महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियमो मे वाछनीय उपबन्ध महाराष्ट्र सरकार द्वारा यथासभव शीघ्र क्रियान्वित किया जाये । इसका अनुकरण अन्य राज्य सरकारो द्वारा भी किया जाये ।

(10) यद्यपि कमी की स्थिति मे कोई भी वितरण-प्रणाली आदर्श नही मानी जा सकती फिर भी कास्टिक सोडा के उत्पादको को ऐसे प्रबन्ध पर विचार करना चाहिये जिस से कृत्रिम कमी उत्पन्न न हो और परिमाणत कीमतो की स्फीति को प्रोत्साहन न मिले ।

(11) जहा तक हो सके कास्टिक सोडा के विनिर्माताओ को चाहिये कि वे बडे उपभोक्ताओं की माग का प्राक्कलन करने के लिये उन से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करे और तब अपने अभिकर्ताओ और वितरको की मार्फत वितरण की व्यवस्था करे । जहा तक छोटे उपभोक्ताओ का सम्बन्ध है, सुगम वितरण के हित मे यह होगा कि हरएक राज्य के लिए उपयुक्त कोटा नियत करके वे अपनी अपेक्षाएं अभिज्ञात संस्थाओं या सरकारी विभागों की मार्फत पेश करे।

(12) कास्टिक सोडा और अन्य उत्पादों की कीमतों पर से नियंत्रण हटाने का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देना था, न कि मुनाफा खोरी को अवसर प्रदान करना। इसलिए कास्टिक सोडा उद्योग को अपनी कीमत विषयक नीति में युक्तिमान आत्म नियंत्रण से काम लेना चाहिए।

2—सरकार ने सिफारिश (1) पर ध्यानपूर्वक विचार किया है किन्तु उद्योग ने अभी तक जो प्रगति की है उस पर और इस बात पर ध्यान देते हुए कि आयातों से किसी अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की संभाव्यता वर्तमान परिस्थितियों में नहीं है सरकार का विचार है कि कास्टिक सोडा उद्योग का टैरिफ संरक्षण 31 दिसम्बर, 1964 के पश्चात् जारी रखना आवश्यक नहीं है फिर भी मूल्यानुसार 70 प्रतिशत (अधिमान्य) और मूल्यानुसार 80 प्रतिशत (मानक) की वर्तमान कानूनी शुल्क दरें जारी रहेंगी। वित्त मंत्रालय (राजस्व और कम्पनी विधि विभाग) द्वारा निकाली गई एक छूट-अधिसूचना ने, 1 दिसम्बर, 1964 से, कास्टिक सोडा पर टैरिफ मूल्यों के उसी तारीख से उत्पादन के परिणामस्वरूप, कास्टिक सोडा के लिए टैरिफ के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय इतने सीमा शुल्क के संदाय से छूट दी है जितना कि मूल्यानुसार 40 प्रतिशत अधिमान्य और मूल्यानुसार 50 प्रतिशत (मानक) से अधिक है। सरकारी विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विधान संसद् में यथा-समय लाया जायेगा।

3—सरकार ने (2) से लेकर (7) तक की सिफारिशों को ध्यान में रख लिया है और जहां तक संभव होगा उन्हें कार्यान्वित कराने के उपाय किये जायेंगे।

4—सिफारिश (8) और (9) की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। सिफारिश (9) की ओर महाराष्ट्र सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

5—सिफारिश (10) की ओर कास्टिक सोडा के उत्पादकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है और सिफारिश (11) की ओर कास्टिक सोडा के विनिर्माताओं और छोटे उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

6—सिफारिश (12) की ओर कास्टिक सोडा उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के गजट में प्रकाशित किया जाये और इस की एक एक प्रति सम्बद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को भेजी जाये।

भारत के असाधारण गजट के भाग 1, खण्ड 1, तारीख 14 दिसम्बर, 1964 में अंग्रेजी में प्रकाशित।

सं० 4(1)-टैरिफ/64—आयोग ने, टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 11(ङ) और 13 के अधीन की गई जांच के आधार पर टाइटेनियम डायोक्साइड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिशें इस प्रकार है :—

(1) क्योंकि ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टी०टी०पी०) अभी भी विकास की महत्वपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है इसलिए टाइटेनियम डायोक्साइड उद्योग का टैरिफ संरक्षण 31 दिसम्बर, 1964, जब कि इसकी वर्तमान अवधि का अवसान होने वाला है, के पश्चात् तीन वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए जारी रखा जाये तथा यह पर्याप्त होगा यदि संरक्षण शुल्क की दर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार (अधिमान्य) पर और 35 प्रतिशत मूल्यानुसार (मानक) पर नियत की जाय।

(2) उद्योग की अर्थ-व्यवस्था और भावी विकास के प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए, टी० टी० पी० के प्रबन्धकों को, अपने विस्तार के प्रथम चरण में 25 मीट्रिक टन के नये यूनिट की स्थिति के बारे में अन्तिम विनिश्चय लेने से पूर्व, यावत्सम्भव-शीघ्र, उन भिन्न भिन्न आस्थानों का, जहां से समान सुविधाएं प्राप्त हो सकें, अवधानतापूर्वक और ब्यौरेवार तकनीकी-आर्थिक पर्यवेक्षण करना चाहिये । अपने विस्तार के अगले चरण का विचार करते हुए और भविष्य में क्लोराइड प्रक्रिया में परिवर्तन की संभावनाओं और प्रत्याशंसाओं का सम्यक् ज्ञान रखते हुए पर्यवेक्षण करना वांछनीय होगा । कम्पनी का आवश्यक पथ प्रदर्शन करने और उसे सहायता देने के लिए इस समस्या पर तकनीकी विकास के महा निदेशालय का ध्यान भी आकर्षित किया जाता है ।

(3) उन छोटे-छोटे उपभोक्ताओं की, जिनके पास पर्याप्त स्टाक बनाये रखने के लिए साधनों का अभाव है और जो कम्पनी की सूची-कीमतों पर मौके पर क्रय नहीं कर सकते, अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता पर तकनीकी विकास महा निदेशालय और विक्रय अभिकर्ता इन दोनों के द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाना चाहिये ।

(4) रोगन उद्योग की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कि विशेष ग्रेडों के लिए उसकी आवश्यकताएं टी० टी० पी० द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं और क्योंकि उसकी क्षमता का सबसे पिछला विस्तार उसके उत्पादन में विविधता प्रदान करने के लिये अच्छे अवसर देता है, इसलिए टी० टी० पी० को चाहिये कि वह रोगन उद्योग की जहां तक संभव और आर्थिक दृष्टि से न्यायोचित हो, मांग पूरा करने का प्रयत्न करे । रोगन विनिर्माताओं को भी अनुभव करना चाहिये कि इस क्षेत्र में एकल यूनिट के लिए, जिसकी क्षमता अपेक्षतया प्रसीमित है, उत्पादन में विविधता लाने का कार्य धीरे धीरे ही होगा ।

(5) जहां तक वर्तमान स्थिति में, जब कि टी० टी० पी० ने कोई अपरिवर्तनीय वचनबद्धता नहीं की है, उसकी प्रस्थापित 25 मीट्रिक टन यूनिट में अपनाई जाने वाली विनिर्माण की प्रक्रिया का सम्बन्ध में है, उद्योग में हुए अन्तिम विकासों की दृष्टि से सम्पूर्ण स्कीम पर पुनः विचार करने तथा उपयुक्त तकनीकी सहयोग से इस देश में क्लोराइड प्रक्रिया को अपनाने की संभावनाओं का उच्च-स्तरीय तकनीकी अन्वेषण करने की आवश्यकता है ।

(6) प्रस्थापित 25 मीट्रिक टन यूनिट की प्रक्रिया के चुनाव और उसकी स्थिति के लिए अन्वेषणों को ध्यान में रखते हुए, कार्य पूर्ति की कालावधि कम्पनी के वर्तमान अनुमान से अधिक समय तक के लिये बढ़ा दी जाये । इस बीच उत्पादन खर्च में सम्भव किफायत प्राप्त करने के लिए, विद्यमान संयंत्र में कतिपय विस्तार अथवा पुनः समायोजन करने की आवश्यकता पर विचार करना होगा जिससे कि असंतुलनों को हटाया जा सके और अधिक से अधिक अनुकूल उत्पाद सुनिश्चित किया जा सके । पञ्च-निष्प्रातन सज्जा को नियत से कम उपयोग से बचाने के लिए तथा रूटाइल ग्रेड के लिए उपभोक्ता-उद्योगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, रूटाइल ग्रेड के लिए अतिरिक्त 5 टन निस्पातक

का, प्रारम्भिक अनुभागों में आवश्यक समायोजनों सहित, प्रतिष्ठापन फायदा-प्रद प्रतीत होता है । यह सिफारिश की जाती है कि कम्पनी द्वारा इस पर ध्यान-पूर्वक और अर्जेंट विचार किया जाय ।

(7) क्योंकि मूल्यवान क्षेप्य उत्पादों के उपयोग से त्रिवेन्द्रम में टी० टी०पी० के उत्पादन खर्चे में सारवान किफायत होने की प्रत्याशा है, जिससे कि उसके कुछ स्थितिजन्य अलाभों की पूर्ति होगी, अतः प्रबन्धकों को चाहिए कि वे ऐसी स्कीम को सफल बनाने के लिए यावत्सम्भवशीघ्र कर्मठता से क्रियाशील हों ।

(8) यद्यपि 1963 में अपने आदेशों के परिणाम के अनुसार टी० टी० पी० इल्मेनाइट के प्रति मीट्रिक टन 50 शि० की प्रारम्भिक निर्माणशाला-कीमत (नेकेड-एट वर्क्स) के लिए अर्हे हो गया था, फिर भी इसके द्वारा दी गयी वास्तविक कीमत बहुत अधिक थी । प्रत्यक्षतः आनुकल्पिक स्रोतों से सस्ते संभरण की प्राप्यता की दशाओं में टी० टी० पी० के लिए, संरक्षित उद्योग के रूप में, एफ० एक्स० पी० खनिजों से किसी ऊंची कीमत पर इल्मेनाइट क्रय करना न्यायोचित नहीं था । संरक्षित टैरिफ द्वारा टी० टी० पी० पर अधिरोपित बाध्यता कम्पनी के लिए यह अत्यावश्यक कर देती है कि वह अन्य विचारों को छोड़ कर, अपने खर्च को कम करने और अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक शुक्ति को सुधारने के लिए अपनी खरीद कम से कम प्राप्य कीमतों पर करे ।

(9) यद्यपि मनवलकुरिचि इल्मेनाइट की किस्म यदि चवारा इल्मेनाइट से अधिक बेहतर नहीं है तो भी सिवाय इस बात के कि उसमें टाइटनियम डायोक्साइड थोड़ी सी कम है, वह समान रूप से अच्छी है, उसके उपयोग से उसकी जहाज तक—निशुल्क कीमतों और परिवहन चार्जों के कम होने के कारण सामग्री के खर्चे में प्रचुर किफायत की प्रत्याशंसाएं हैं । टी० टी० पी० को चाहिए कि भविष्य में वह इल्मेनाइट की प्राप्यता के अनुसार उसे मनवलकुरिचि से खरीदने पर विचार करे ।

(10) क्यों कि टी० टी० पी० ने ब्रिटिश टिटान प्रोडक्ट्स लिमिटेड की तकनीकी परामर्शदायी सेवाओं का लाभ नही उठाया है इसलिए यह अच्छा होगा कि किसी तुलनीय स्तर की आनुकल्पिक तकनीकी परामर्शदायी सेवा का, विशिष्टतया कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम और भविष्य में उसकी निर्यात बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, प्रबन्ध किया जाय ।

(11) क्योंकि टी० टी० पी० द्वारा उत्पादित किये जाने के लिए प्रस्थापित संमिश्र ग्रेड से खर्चे में समानुपातिक कमी के बिना, मानक ग्रेड से नीची कीमत प्राप्त होना संभाव्य है, इसलिए, अन्तर्वलित वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए और किस्म का अत्यधिक त्याग किये बिना, ऐसे असमानक उत्पादों के उत्पादन को युक्ति-मान प्रसीमाओं के भीतर रखा जाना चाहिये ।

(12) टाइटेनियम डायोक्साइड उद्योग का तथा त्रिवेन्द्रम जाने वाली नहर द्वारा सेवित अन्य उद्योगों का भी ठोस आधार पर विकास करने में सहायता देने के हित में हम केरल सरकार पर बल देना चाहेंगे कि वह इस बात का सुनिश्चय करने के लिए पूर्विकला के आधार पर सम्यक् रूप से विचार करे कि नहर की नाव्यता बराबर बनी रहे ।

2—सरकार ने इन सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है किन्तु अब तक उद्योग द्वारा की गई प्रगति तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान परिस्थितियों में आयातों द्वारा कोई अनुचित प्रतिस्पर्द्धा संभाव्य नहीं है, सरकार ने विचार किया है कि टाइटेनिअम डायोक्साइड उद्योग के टैरिफ संरक्षण को 31-12-1964 के पश्चात् जारी रखने की आवश्यकता नहीं है ।

तथापि, राजस्व प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, शुल्क की वर्तमान दरों को चालू रखने का विनिश्चय किया है ।

सरकारी विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संसद् में यथा-समय आवश्यक विधान बनाया जायेगा ।

3—सरकार ने (2) और (3) की सिफारिशों पर ध्यान दिया है तथा जहां तक संभव होगा उन्हें कार्यान्वित करने के उपाय किये जायेंगे । इन सिफारिशों की ओर ट्रावनकोर टाइटेनिअम प्रोडक्ट्स लिमिटेड का भी ध्यान आकर्षित किया जाता है । विक्रय अभिकर्ता, अर्थात् टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी, का ध्यान भी सिफारिश (3) की ओर दिलाया जाता है ।

4—ट्रावनकोर टाइटेनिअम प्रोडक्ट्स लिमिटेड का ध्यान (4) से (11) तक की सिफारिशों की ओर और रोगन विनिर्माताओं का ध्यान सिफारिश (4) की ओर दिलाया जाता है ।

5—केरल सरकार का ध्यान सिफारिश (12) की ओर दिलाया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के गजट में प्रकाशित किया जाये और इसकी एक-एक प्रति सम्पृक्त व्यक्तियों/संस्थाओं को भेजी जाये ।

भारत के असाधारण गजट के भाग 1, खण्ड 1, तारीख 14 दिसम्बर 1964 में अंग्रेजी में प्रकाशित ।

सं० 14(1)—टैरि०/64—टैरिफ आयोग ने टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 11(ङ) और 13 के अधीन अपने द्वारा की गई जांच के आधार पर रंग-सामग्री उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है । उस की सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) ऐसी रंग-सामग्रियों पर, जो भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ मद सं० 30(15) और 30(16) के अन्तर्गत आती हैं, सरचार्ज और उत्पादन प्रतिशुल्क को छोड़कर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत वर्तमान संरक्षण शुल्क तीन वर्षों की अपर कालावधि के लिए अर्थात, 31 दिसम्बर, 1967 तक जारी रखा जाना चाहिए ।

(2) (i) मूल्यानुसार 50 प्रतिशत वर्तमान राजस्व शुल्क को समतुल्य संरक्षण शुल्क में संपरिवर्तित कर के नैफ्थाल के लिए, और

(ii) मूल्यानसार 100 प्रतिशत संरक्षण शुल्क के उद्ग्रहण द्वारा पक्के रंग के आधारों के लिए, संरक्षण 31 दिसम्बर, 1967 तक दिया जाना चाहिए ।

ये शुल्क प्रायिक सरचार्ज और उत्पादन प्रतिशुल्क को छोड़कर हैं ।

(3) निम्नलिखित पर 31 दिसम्बर, 1967 तक संरक्षण शुल्क उद्ग्रहीत किये जाने चाहिये :—

(i) मूल्यानुसार (अधिमान्य) 45 प्रतिशत और मूल्यानुसार (मानक) 55 प्रतिशत पर 2—एमिनो ऐंथ्राक्विनोन ।

(ii) मूल्यानुसार (अधिमान्य) 90 प्रतिशत और मूल्यानुसार (मानक) 100 प्रतिशत पर बेंजानथ्रोन ।

(iii) मूल्यानुसार (अधिमान्य) 70 प्रतिशत और मूल्यानुसार (मानक) 80 प्रतिशत पर बी० ओ० एन० अम्ल (बीटा ऑक्सी नैफ्थॉइक अम्ल)

ये शुल्क प्रायिक सरचार्ज और उत्पादन प्रतिशुल्क को छोड़कर है ।

(4) नीचे वर्णित 30 विनिर्दिष्ट मध्यगों के लिये 10 प्रतिशत मूल्यानुसार (मानक) और शून्य (अधिमान्य) के शुल्क की रियायती दरे मंजर की जानी चाहिये तथा यह रियायत 31 दिसम्बर, 1967 तक प्रवृत्त रहनी चाहिये । तब इसके आगे जारी रखे जाने के प्रश्न की जांच की जानी चाहिये :—

1—डाइनाइट्रो–क्लोरो बैंज़ीन

2—ओ–एनिसाइडाइन

3—पी–एनिसाइडाइन

4—ऐल्फा नैफ्थैलमिन

5—ओ–टॉल्युडाइन

6—ओ–टॉलिडीन

7—ओ–नाइट्रो टॉल्युईन

8—बैंजीडिन और बेंजीडिन डाइहाइड्रोक्लोराइड

9—2 : 5 डाइक्लोरो नाइट्रो बेंज़ीन

10—लॉरैंट अम्ल

11—ओ–डाइक्लोरो बेंज़ीन

12—ओ–नाइट्रो क्लोरो बेंज़ीन

13—मैटा–डाइनाइट्रो बेंज़ीन

14—जे–अम्ल यूरिया

15—ऐंथ्राक्विनोन

16—एच–अम्ल

17—चिकागो अम्ल

18—गामा अम्ल

19—पैरा–नाइट्रो ऐनिलीन

20—ऐसीटो–ऐसीटिक एस्टर

21—पी–टॉल्युडाइन

22—3 : 3–डाइक्लोरो बैंज़ीडिन

23—सी–अम्ल

24—ऐसीटो–ऐसीट–ओ–टॉल्युडाइन

25—ऐसीटो–ऐसीट ओ–क्लोर–ऐनिलाइड

26—तोबियस अम्ल

27—फेनिल पेरि अम्ल

28—2–क्लोरो–4–नाइट्रो ऐनिलीन

29—ऐसी टो–ऐसीट ऐनिलीन

30—पी–टॉल्युइडाइन–ओ–सल्फोनिक अम्ल

(5) एच–अम्ल, चिकागो-अम्ल, गामा-अम्ल और जे–अम्ल यूरिया पर शुल्क की वर्तमान रियायती दरों का विस्तार नीचे दिये गये उनके तत्समान लवणों पर किया जाना चाहिये, क्योंकि उन की अपेक्षा केवल रंगों के विनिर्माण के लिए की जाती है :—

(क) एच–अम्ल और उसके क्षार–धातु लवण ।

(ख) चिकागो अम्ल और उसके क्षार धातु लवण ।

(ग) गामा अम्ल और उसके क्षार–धातु लवण ।

(घ) जे–अम्ल यूरिया और उसके क्षार धातु लवण ।

(6) बीटा नैफ्थॉल को उत्पादन प्रतिशुल्क के संदाय से तब तक छूट मिलती रहनी चाहिये जब तक कि इस पदार्थ का देशी उत्पादन स्थापित नहीं हो जाता ।

(7) रंग सामग्री उद्योग में डाइमेथिलानाइलाइन का उपभोग प्रचुर मात्रा में होने के कारण वर्तमान शुल्क रियायत इस शर्त पर बनाये रखी जाये कि विनिर्माता इस बात के लिये आबद्ध होता है कि वह मध्य का उपयोग केवल रंग-सामग्री के विनिर्माण में करेगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसके उपयोग की दशा में रियायती दर और इस प्रकार प्रयुक्त की गई मात्रा के बारे में उद्ग्रहणीय प्रसामान्य शुल्क के बीच के अन्तर का संदाय करेगा ।

(8) पैरा डाइ-क्लोरो बेंजीन,डाइ-नाइट्रो टॉल्यईन और मैटा नाइट्रो टॉल्युईन को रियायती सूची से हटा दिया जाना चाहिये तथा 40 प्रतिशत मूल्यानुसार (मानक) और 30 प्रतिशत मूल्यानुसार (अधिमान्य) के शुल्क की प्रसामान्य दरें उन पर पुनः अधिरोपित की जायें ।

(9) सरकार को टैरिफ और व्यापार पर साधारण करार (जी० ए० टी० टी०) के अधीन अपनी बाध्यताओं से सम्मोचन निम्नलिखित छः मध्यगों पर अर्थात (1) जी–लवण, (2) रोडुलिन अम्ल (डाइ–जे–अम्ल), (3) नेविल और विन्थर का अम्ल, (4) पी–एमिनो ऐसीटानिलाइड, (5) सोडियम नैफ्थॉयोनेट और नैफ्थियोनिक अम्ल और (6) मैटा फेनिलीन डाइ एमीन पर आयात शुल्कों को बद्ध करने के लिये अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि सरकार ऐसी दरों पर, जो आवश्यक पाई जायें, उन पर सीमा शुल्क अधिरोपित करने के लिए स्वतंत्र हो ।

(10) वर्णक मुद्रण पायसों, अभिक्रियाशील रंगों और प्रकाशीय श्वेतन कारकों के अलग अलग आयातों के आंकड़ों का अभिलेख करने के लिए कदम उठाये जायें ।

(11) (क) चूंकि नीचे वर्णित 12 मध्यगों के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई है इसलिए यह उचित होगा कि वर्तमान यूनिटों में से ऐसे यूनिटों का, जो अपेक्षित मात्राओं तक इन मध्यगों का उत्पादन भार ग्रहण कर सकें, अनुज्ञापन किया जाये :—

1—ऐसीटो ऐसीटिक एस्टर

2—थैलिक ऐनहाइड्राइड

3—ऐल्फा नैफ्थलैमिन

4—ओ—टॉलीडाइन

5—बेंजीडिन/बेंज़ीडिन डाइहाइड्रोक्लोराइड

6—क्लोरोबेंज़ीन

7—फीनोल

8—3 : 3 डाइक्लोरो बेंजीडिन

9—4 क्लोरो—2—नाइट्रो ऐनिलीन

10—सी—अम्ल

11—ऐनिलीन

12—ऐसीटो—ऐसीट—ओ—टॉ ल्युइडाइन

(ख) यदि मध्यगों के विनिर्माण के लिए हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्ज़ की योजनाएं कार्यान्वित नहीं होतीं तो नीचे की सूची में दिये गये आठ मध्यगों की दशा में यह वांछनीय होगा कि उन के उत्पादन के लिए अन्य यूनिटों को अनुज्ञापित किया जाये । उस दशा में ओ एम और पी—टॉल्यडाइनों के लिए अतिरिक्त क्षमता के अनुज्ञापन के लिए गुजाइश और आवश्यकता भी है :—

1—डाइनाइट्रो क्लोरो बेंजीन

2—डाइमैथिक एनिलीन

3—2 : 5 डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन

4—ओ—और जी—डाइक्लोरो बेंजीन

5—ओ—एम और पी—नाइट्रो टॉल्युईन

6—डाइनाइट्रोटॉल्युईन

7—ओ—और पी—नाइट्रोक्लोरो बेंज़ीन

8—एम—डाइनाइट्रो बेंज़ीन

(12) ऐसे मध्यगों के, जो देश में विनिर्मित किये जा सकते हैं, आयात के अधिमान में साज सामान के आयात के लिए जितनी भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके उसका उपबन्ध करके मध्यगों के देशी उत्पादन को प्रोत्साहन देना देशीय उद्योग के विकास के हित में होगा ।

(13) मध्यगों के लिए कच्चे माल के प्रयोजनार्थ उनके विनिर्माताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को चाहिये कि वह मध्यगो के विनिर्माताओं को पर्याप्त विदेशी मुद्रा सीधे उपलब्ध करे ।

(14) यद्यपि रंग-सामग्री उद्योग के समक्ष कच्चे माल की ऊंची दरों की समस्यायें और विनिर्माण के खर्चों की अन्य बातें है, फिर भी रंग-सामग्री की कीमतों में कटौती करने की अभी और गुंजाइश है ।

2. सरकार सिफारिश (1) स्वीकार करती है। जहां तक इस उद्योग के संरक्षण का सम्बन्ध है सरकार उपर्युक्त सिफारिश (2) और (3) को भी स्वीकार करती है। पक्के वर्ण आधारों, बेंजानथ्रोन और बीटा–ऑक्सी-नैफ्थाइक अम्ल (बी० ओ० एन० अम्ल) पर शुल्क की दरों में वृद्धि के बारे में सरकार का यह विचार है कि मानक संरक्षण दरे 75 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक नही होनी चाहिये । तदनुसार सरकार ने विनिश्चय किया है कि पदार्थों पर उनमे से हरएक के सामने वर्णित निम्नलिखित संरक्षण शुल्क उदग्रहीत किया जाये :—

1.—पक्के वर्ण आधार . .	75 प्रतिशत मूल्यानुसार
2.—बेंजानथ्रोन . .	65 प्रतिशत मूल्यानुसार (अधिमान्य) और 75 प्रतिशत मूल्यानुसार (मानक)
3.—बीटा-ऑक्सी-नैफ्थाइक .	65 प्रतिशत मूल्यानुसार (अधिमान्य) और 75 प्रतिशत मूल्यानुसार (मानक)

तथापि नैफ्थाल पर 50 प्रतिशत मूल्यानुसार तथा 2–ऐमिनो ऐंथ्राक्विनोन पर 45 प्रतिशत (अधिमान्य) मूल्यानुसार और 55 प्रतिशत (मानक) मूल्यानुसार के शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

शुल्क की उपर्युक्त दरों को भारत के गजट में आज प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अविलम्ब प्रवृत्त किया जा रहा है । आवश्यक विधान निर्माण यथासमय किया जायेगा ।

3. सरकार उपर्युक्त (4) से (8) तक की सभी सिफारिशों को भी स्वीकार करती है ।

4. सरकार ने (9) से (13) तक की सभी सिफारिशों को ध्यान में रख लिया है और उन्हें यावत्सम्भव कार्यान्वित करने के लिए उपाय किये जायेंगे ।

5. रंग-सामग्री उद्योग का ध्यान सिफारिश (14) की ओर दिलाया जाता है

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के गजट में प्रकाशित किया जाये और उसकी एक-एक प्रति सभी सम्प्रक्त व्यक्तियों/संस्थाओं को भेजी जाये ।

भारत के असाधारण गजट के भाग 1, खण्ड 1 तारीख 14 दिसम्बर, 1964 में अंग्रेजी में प्रकाशित

सं० 14(1)—टैरि०/64—भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि यहां दी गई सारिणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट चीजों पर, जबकि वे भारत में आयात की जायें उतनी रकम का सीमाशुल्क उद्ग्रहीत किया जायेगा जोकि उसके स्तम्भ (2) में तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ।

सारिणी

चीजों का नाम	सीमा शुल्क की रकम (उस शुल्क के स्थान में जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनसूची में विनिर्दिष्ट है)
निम्नलिखित मदें—	
(i) 2—ऐमिनो ऐन्थ्रा क्विनोन .	
(क) ब्रिटिश विनिर्माण वाला .	45 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ख) ब्रिटिश विनिर्माण वाले से भिन्न .	55 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ii) बेंजानथ्रोन—	
(क) ब्रिटिश विनिर्माण वाला .	65 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ख) ब्रिटिश विनिर्माण वाले से भिन्न .	75 प्रतिशत मूल्यानुसार
(iii) बीटा ऑक्सी नैफ्थोइक अम्ल—	
(क) ब्रिटिश विनिर्माण वाला .	65 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ख) ब्रिटिश विनिर्माण वाले से भिन्न .	75 प्रतिशत मूल्यानुसार

भारत के असाधारण गजट के भाग 1, खण्ड 1, तारीख 14 दिसम्बर 1964 में अंग्रेजी में प्रकाशित ।

सं० 14(1)टैरि०/—64—भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि यहां दी गई सारिणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट चीजों पर, जबकि वे भारत में आयात की जायें उतनी रकम का सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जायेगा जोकि उसके स्तम्भ (2) में तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ।

सारिणी

चीजों का नाम	सीमाशुल्क की रकम (उस शुल्क के स्थान में जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है)
नैफ्थाल वर्गों के युग्मनरंग—	
(i) नैफ्थाल . . .	50 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ii) पक्के रंगों के आधार . .	75 प्रतिशत मूल्यानुसार

भारत के असाधारण गजट के भाग 1, खण्ड, 1, तारीख 9 दिसम्बर 1964 में अंग्रेजी में प्रकाशित।

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1964

संकल्प

टैरिफ

सं० 1(1) टैरि०/64—टैरिफ आयोग ने टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 11(ङ) और 13 के अधीन की गई जांच के आधार पर ऐल्युमिनियम उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस की सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) आई० सी० टी० की मद संख्या 66(1) के अन्तर्गत ऐल्युमिनियम पिण्डों, छड़ों आदि को और आई० सी० टी० की मद संख्या 66 (क) के अन्तर्गत ऐल्युमिनियम विनिर्माणों को अनुदत्त संरक्षण, सरचार्ज और उत्पादन प्रतिशुल्क को छोड़कर, 35 प्रतिशत मूल्यानुसार के संरक्षणात्मक शुल्क की वर्तमान दर पर चार वर्षों की अपर कालावधि के लिए, जो 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होती है, जारी रखी जानी चाहिए।

(2) ऐल्यूमिनियम उद्योग को अपनी उत्पादन लागत युक्तिमान स्तर पर बनाये रखने में सहायता प्रदान करने के लिये, एल्युमिना के आयातों पर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार, मानक, और 10 प्रतिशत मूल्यानुसार, अधिमान्य, का वर्तमान रियायती शुल्क चार वर्षों की अपर कालावधि, अर्थात् 31 दिसम्बर, 1968 तक के लिये, जारी रखा जाना चाहिये। उस समय तक नयी या विस्तारित क्षमताओं वाले एल्युमिना संयंत्र परिनिर्मित और अधिकृत हो चुकेंगे।

(3) जबकि ऐल्युमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों को निर्माण क्षमतायें अनुदत्त करने की सरकारी नीति से उत्पादन किफायतों में वृद्धि होगी और उपभोक्ता के दीर्घकालीन हितों की सिद्धि होगी, तो भी लघु और मध्यम निर्माताओं की पिण्डों की अपेक्षाओं की पूर्ति की जानी चाहिये।

(4) चूंकि इस उद्योग के बड़े बड़े यूनिटों की वृद्धि को प्रोत्साहिन देना राष्ट्रीय हित में होगा, अतः नयी या वर्धित क्षमतायें मंजर करते समय सरकार को यूनिट के आकार को और इस बात को दृष्टि में रखना चाहिये कि यह वांछनीय है कि वे प्रदायक क्षमताओं के विस्तार की दिशा में विश्व प्रवृत्ति के अनुरूप हों।

(5) ऐल्युमिनियम की भावी मांग विगतकाल की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। अतः राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य इस उद्योग को यथासंभव तेजी से विकसित करना और इसके विस्तार के दौरान इसे सभी सहायता देना होना चाहिये।

(6) चूंकि बाक्साइट ऐल्यूमिनियम उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि बाक्साइट खनन रियायतों के अनुदान के बारे में कोई एकरूप अखिल भारतीय नीति होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि वे रियायतें दूसरों के अधिमान में धातुक के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को अनुदत्त की जानी चाहिये।

(7) चूंकि 1990 के लगभग बाक्साइट के वर्तमान ज्ञात निक्षेपों का निःशेष हो जाना संभाव्य है, अतः ज्ञात और संभावी दोनों निक्षेपों पर विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य करने के लिये तुरन्त कदम उठाया जाना अपेक्षित है।

(8) ऐल्युमिनियम राष्ट्रीय महत्त्व का उद्योग है। अतः यह वांछनीय है कि इस उद्योग को जिसकी प्रगति विद्युतशक्ति के सस्ते, प्रचुर और सुनिश्चित सम्भरण पर निर्भर करती है, लागू बिजली की दरें सारे देश में यावत्सम्भव एकरूप होनी चाहिये, जिससे कि नये यूनिट, इस धातु के अन्य उत्पादकों से अनुचित प्रतिस्पर्धा के डर के बिना

जहां कहीं बिजली उपलब्ध हो वहां स्थापित किये जा सकें। सम्पूर्ण प्रश्न का परीक्षण राज्य सरकारों से और राज्य विद्युत बोर्डों तथा ऐल्यूमिनियम उत्पादकों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर के किया जाना चाहिये जिससे कि उस उद्योग के लिये युक्तिमान रूप से कम टैरिफ दरें और दीर्घ कालावधियों तक शुल्कों की एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय किये जा सकें। अधिक भार होने की बात को ध्यान में रखते हुए, यह बात स्वयं राज्यों के हितों में होनी चाहिये कि वे इस उद्योग को प्रोत्साहित करें और इस पर चार्ज वाली दरों को स्थिर रखें तथा लाभ की मात्रा कम रखें।

(9) उत्पादकों को अपनी कीमत निर्धारण नीतियों का पुनर्विलोकन करना चाहिये जिस से कि उनकी कीमत उनकी उत्पादन लागत को देखते हुए उचित नियत की जा सके।

2—सरकार सिफारिश (1) को स्वीकार करती है। आवश्यक विधान संसद् में यथासमय लाया जायेगा।

3—सरकार उपर्युक्त सिफारिश (2) को स्वीकार करती है।

4—सरकार ने (3) से लेकर (8) तक की सिफारिशों को ध्यान मे रख लिया है और जहां तक सम्भव होगा उन्हें कार्यान्वित करने के उपाय किये जायेंगे। राज्य सरकारों का ध्यान सिफारिश (8) की ओर भी दिलाया जाता है।

5—ऐल्यूमिनियम के उत्पादकों का ध्यान सिफारिश (9) की ओर दिलाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के गजट मे प्रकाशित कर दिया जाये और इसकी एक एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को दे दी जाये।

डी० एन० बनर्जी, संयुक्त सचिव।

व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1965।